संख्या-143/2025/351 /25-27-सिं0-4/001-185(डब्ल्यू)परि0/2023

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 28 मार्च, 2025**

विषय: जनपद मुजफ्फरनगर में ऊपरी गंगा नहर के कि0मी0 89.950 पर स्थित चितौड़ा रेगुलेटर के सुरक्षात्मक कार्य की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-1990/1246/परियोजना/कैम्प/बजट दिनांक 06.03.2025 तथा शासनादेश संख्या-582/2024/4633पी/24-27सिं0-4/001-185(डब्ल्यू)परि0/2023, दिनांक 30.09.2024 द्वारा निर्गत की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-94 लेखाशीर्षक **4700-04-051-10-14-24** के अन्तर्गत **फिरोजाबाद जनपद में कोटला माइनर के 06 अदद वी०आर०बी०, हेड एवं क्रॉस रेगुलेटर के पुर्ननिर्माण तथा किमी0 0.000 से किमी0 5.800 तक माइनर के पुर्नस्थापना एवं बांयी पटरी के किमी0 0.000 से किमी0 1.000 तक सड़क निर्माण कार्य की परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बचत की धनराशि रू0 63.00 लाख, जनपद हरिद्वार में मायापुर स्केप चैनल तथा ऊपरी गंगा नहर के किमी० 2.20 पर सिल्ट इजेक्टर चैनल के आन्तरिक भाग की पुर्नस्थापना एवं रेलिंग लगाने का कार्य की परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बचत की धनराशि रू0 90.00 लाख, जनपद मेरठ में जानी स्केप के कि0मी0 8.100 पर स्थित जल सेतु की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक कार्यों की परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बचत की धनराशि रू0 91.00 लाख** एवं **जनपद अलीगढ़ में ऊपरी गंगा नहर के सुगम संचालन हेतु ड्रेनेज मण्डल कार्यालय, उपराजस्व अधिकारी प्रथम व द्वितीय कार्यालय और अधीक्षण अभियन्ता आवास के निर्माण कार्य की परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बचत की धनराशि रू0 106.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 350.00 लाख** का अन्तरण कर समान लेखाशीर्षक लेखाशीर्षक **4700-04-051-10-14-24** के अन्तर्गत **जनपद मुजफ्फरनगर में ऊपरी गंगा नहर के कि0मी0 89.950 पर स्थित चितौड़ा रेगुलेटर के सुरक्षात्मक कार्य की परियोजना हेतु धनराशि रू0 350.00 लाख** (रूपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र) परियोजना के कार्यो हेतु अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. उक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों पर नियमानुसार सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त सन्दर्भगत शासनादेश द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत की गयी प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लिखित प्रतिबन्ध एवं शर्तें यथावत रहेंगे।
2. प्रश्नगत परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता एवं ससमय पूर्ण कराया जाना मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **3,50,00,000 (** रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र **)** को चालू वित्तीय वर्ष **2024-25** के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या **094** लेखा शीर्षक **4700040511014** सम्बद्ध कार्य मानक मद **24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - **1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या - **1/2024/**बी-**1-294/**दस-**2024-231/2024,** दिनाँक- **04-**मार्च**, 2024** में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव,

संख्या-143**/2025/ 351/25-27-सिं0-4**, **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन/बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ, उ0प्र0 ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8
10- नियोजन अनुभाग-3
11- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
12- नोडल अधिकारी (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन
13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
चन्द्र भूषण
अनु सचिव,